457

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
HOME (GR.II) DEPARTMENT.

No.F.4(5)(16)HB/Gr.II/69 Dated the 19/5/ April, 1965

NOTIFICATION

The Governor of Rajasthan hereby makes the following rules for the regulation of the aid received for the welfare of the prisoners, namely:-

**THE RAJASTHAN PRISONERS WELFARE FUND RULES, 1964:**

1. Short title and commencement:-
   i) These rules may be called the Rajasthan Prisoners W. Fund, Rules, 1964.
   ii) They shall come into force with immediate effect.

2. Scope of the Rules:- These rules shall apply to all Prisoners undergoing imprisonment in any Jail or Lock-up through out the State of Rajasthan.

3. Constitution of the Fund:- A 'Fund' known as Rajasthan Prisoners Welfare Aid Fund shall be constituted at all Jails or Lock-ups through out the State of Rajasthan.

4. Sources of Income:- The funds shall be raised by collection from the following sources:-
   a) Donations by the Government.
   b) Donations by the Public.
   c) Donations collected by the sale of tickets of Dramas and other cultural and entertaining programmes.
   d) Donations from the relatives and friends of the prisoners at the time of interview.
   e) Collections made by authorised lotteries for the benefit and welfare of prisoners, ex-prisoners & their dependents.
   f) Collections made by the sale of flages.
   g) Collections or donations received from any other means
   h) either in cash or kind.

Net proceeds after deducting expenses of entertainment, /cost of lotteries / Flags shall be credited to the Government.

5. Utilisation of the Fund:- The fund shall be utilised for the welfare of prisoners, including the following:-
   a) To provide scholarships to the children and other dependents of the prisoners for prosecution of studies if there is no other source of income.
   b) To provide subsistence to the dependents of the prisoners if they have no other sources of income.
   c) Any other welfare activities determined as such by the Inspector General of Prisons and previously approved by the Government.

6. Maintenance, Control and supervision etc. of the Fund:-
   i) The Fund shall be kept in the P.D. Account for each of the Central, Jails and District Jails as per Appendix 'A' and the transaction will appear under the head '5-Deposits and Advances- Part II- Deposits not bearing interest- Civil Deposits- B-Departmental and Judicial Deposits, personal.
   ii) The Inspector General of Prisons shall be the controlling authority of this fund and any expenditure out of this fund shall be incurred with his previous sanction.
   iii) Accounts of the fund shall be kept entirely separate from those of the Government Funds. For this purpose a separate cash book shall be maintained on the same line as in respect of Government money. Any money on this account shall be kept in a separate Box and not mixed up with Government money.

P.T.O.

IV) The Officer in charge of the Jails or Sub-Jails shall supervise the accounts of this fund and shall be personally responsible for its custody and disbursement.

V) The accounts of this Fund shall be inspected by the Accounts Officer of the Office of the Inspector General of Prisons.

By order of the Governor,

Secretary to the Govt.

.......

## APPENDIX - A

### LIST OF CENTRAL JAILS AND DISTRICT JAILS IN RAJASTHAN

| S.O. | Name of Jail. | Name & designation of the Operating officer |
|---|---|---|
| 1. | Central Jail, Jaipur. | Shri Amar Singh Ranawat, S |
| 2. | Central Jail, Jodhpur. | " Prem Raj Chaudury, C |
| 3. | Model Jail, Ajmer.(A) | " Shri Veer Singh O |
| 4. | Distt.Jail, ~~Bikaner(A)~~ Kota(A) | " Har Lal Singh O. |
| 5. | Distt.Jail,Bikaner (A | " Bhura Lal Offg.,Su |
| 6. | Distt.Jail,Udaipur (A) | " Chain Singh Of ,Su |
| 7. | Distt.Jail,Alwar (B) | " Ramanuj Sharma Offg.Dy.S |
| 8. | Distt.Jail,Ganganagar(B) | " Bhoor Singh Dy. Supd |

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-५) विभाग

प०१७(३३)कारागार/७२ जयपुर, दिनांक 21 फरवरी, ७४

-: अधिसूचना :-

राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान बंदी कल्याण निधि नियम, १९६४ में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

-: संशोधन :-

राजस्थान बंदी कल्याण निधि नियम, १९६४ के नियम ५ के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम रखा जायेगा :-

५ निधियों का उपयोग :- निधि का उपयोग, निम्नलिखित सहित बंदियों के कल्याण के लिये किया जायेगा :-

क- यदि आय का अन्य स्त्रोत न हो तो; बंदियों के बच्चों और अन्य आश्रितों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना।

ख- यदि आय का अन्य स्त्रोत न हो तो बंदियों के आश्रितों को जीवन निर्वाह की राशि उपलब्ध कराना।

ग- चिकित्साधिकारी की सिफारिश पर बंदियों को, पढ़ने के लिये चश्मा उपलब्ध कराया जाना, यदि बंदि जेल में अपनी जमा-राशि से चश्मा क्रय नहीं कर सके।

घ- १) यथास्थिति, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान विश्व विद्यालय, जोधपुर विश्व विद्यालय, उदयपुर विश्व विद्यालय बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, द्वारा आयोजित, विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले बंदियों का परीक्षा शुल्क देना।

२) संबंधित विश्व विद्यालयों, बोर्ड और संस्थाओं द्वारा जिनका घ(१) में निर्देश है, आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले बंदियों द्वारा अपेक्षित पुस्तकों और अन्य लेखन सामग्री हेतु व्यय करना।

ङ०) अन्य कोई कल्याणकारी ऐसे क्रियाकलाप जो महानिरीक्षक, कारागार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों और सरकार द्वारा पहले से ही अनुमोदित कर दिए गए हों।

२. उक्त नियमों से संलग्न परिशिष्ट-ख के स्थान पर निम्न प्रकार से नया ख परिशिष्ट रखा जायेगा :-

## राजस्थान में केन्द्रीय कारागारों और जिला कारागारों की सूची

| क्र०सं० | कारागार का नाम | परिचालक अधिकारी का नाम व पद |
|---|---|---|
| १. | केन्द्रीय कारागार, जयपुर | अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, जयपुर |
| २. | केन्द्रीय कारागार, जोधपुर | अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, जोधपुर |
| ३. | आदर्श कारागार, अजमेर खा श्रेणी, जिला कारागार | उप अधीक्षक, आदर्श कारागार, अजमेर खा श्रेणी जिला कारागार |
| ४. | जिला कारागार, कोटा क श्रेणी | अधीक्षक, जिला कारागार, बीकानेर/क श्रेणी |
| ५. | जिला कारागार, बीकानेर क श्रेणी | अधीक्षक, जिला कारागार, बीकानेर क श्रेणी |
| ६. | केन्द्रीय कारागार, उदयपुर | अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, उदयपुर |
| ७. | जिला कारागार अलवर खा श्रेणी | उप अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, अलवर खा श्रेणी |
| ८. | जिला कारागार, गंगानगर खा श्रेणी | उप अधीक्षक, जिला कारागार, गंगानगर खा श्रेणी |

राज्यपाल के आदेश से,

[signature] 15/2/75

( जी. एन० व्यास )

उप शासन सचिव.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।

२- वित्त (व्यय-२) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

३- महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर ।

[signature]

ग्रुप अधिकारी

नोट:- प्रतिलिपि [illegible] ... /75/ 13700-

2-9-75 [illegible]

1/9/75

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक एफ 19(7)(गृह-12/कारा/80 जयपुर, दिनांक 27.8.1984

## अधिसूचना

राजस्थान बन्दी कल्याण कोष नियम, 1964 को और संशोधित करने के लिए राजस्थान के राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. इन नियमों का नाम राजस्थान बन्दी कल्याण कोष (संशोधन) नियम, 1984 है ।
2. राजस्थान बन्दी कल्याण कोष नियम, 1964 के नियम 4 के विद्यमान खण्ड (ज) में शब्दों "पच्चीस पैसे" के स्थान पर शब्द "पचास पैसे", शब्दों "दस पैसे" के स्थान पर शब्द "पच्चीस पैसे" और शब्दों "बारह पैसे" के स्थान शब्द "पच्चीस पैसे" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

आदेश से,

(एस.सी. पेगोरिया)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त जिला दण्डनायक, राजस्थान ।
2. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान ।
3. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक जिला कारागृह ।
4. प्रभाराधिकारी, उप कारागृह ।
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (संहिताकरण) विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
6. विधि (संहिताकरण विभाग) को 2 प्रतियों में ।
7. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

अनुभागाधिकारी

प्रतिलिपि अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजस्थान जयपुर को राजस्थान के राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित कर इस विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ।

अनुभागाधिकारी

नरेन्द्र/ 16.8.84

:: महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांक-जी.एन.एल./2037/पार्ट-III/ 8656-57 दिनांक- 9/3/94

प्रेषक-

महानिरीक्षक कारागार
राज0 जयपुर

प्रेषित-

उप शासन सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय:-कारागृहों में निरुद्ध बन्दियों के कल्याणकारी क्रियाकलापों का अनुमोदन करने के संबंध में।

-x-

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया बन्दी कल्याण निधि नियम 1964 के नियम 5 (ड) का अवलोकन करावें जिसके अनुसार निधि का उपयोग "अन्य कोई कल्याणकारी ऐसे क्रिया कलाप जो महानिरीक्षक कारागार द्वारा इस रूप में अवधारित किये गये हो और सरकार द्वारा पहले से ही अनुमोदित कर दिये गये हो," में किये जाने का भी प्रावधान है।

अतः कृपया बन्दियों के कल्याण हेतु निम्नांकित कल्याणकारी क्रियाकलापों को निर्धारित किया जाता है :-

(1) शिक्षा :- कारागृहों में निरुद्ध निरक्षर बन्दियों को साक्षर बनाने हेतु पाठ्य सामग्री एवं लेखन सामग्री पर होने वाले व्यय।

(2) खेलकूद :- बन्दियों के खेलकूद हेतु आवश्यक सामान क्रय करने एवं उनकी मरम्मत हेतु।

(3) मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप :- बन्दियों के मनोरंजन हेतु उपकरण क्रय करने एवं उनकी मरम्मत हेतु।

(4) सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना :- कारागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवश्यक सामान की व्यवस्था व क्रय करने हेतु।

(5) उत्सवों का आयोजन :- कारागृहों के अन्दर समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वों एवं उत्सवों के आयोजन पर होने वाला व्यय।

(6) प्रवचन एवं पाठ :- कारागृहों में बन्दियों के लिए साधु सन्तों एवं धर्मगुरुओं आदि के प्रवचनों पर होने वाला व्यय।

(7) व्यवसायिक प्रशिक्षण :- बन्दियों के पुनर्स्थापना के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बन्दियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण जो कारागृह में नहीं दिये जाते हैं के प्रशिक्षण में होने वाला व्यय।

{8} **शिविरों का आयोजन** :- बन्दियों में अपराधिक मनोवृति में परिवर्तन लाने हेतु कारागृह में आयोजित किये जाने वाले यथा विपश्यना साधना शिविर, योग प्रशिक्षण शिविर आदि में होने वाला व्यय।

अतः कृपया बन्दियों के लिए उक्त कल्याणकारी क्रियाकलापों का अनुमोदन कर आदेश भिजवाने की व्यवस्था कर अनुगृहीत करावें ताकि इसका लाभ बन्दियों को दिया जा सके।

भवदीय

महानिरीक्षक कारागार
राज0 जयपुर

प्रतिलिपि:-
वरिष्ठ अध्यापक, महानिदेशालय कारागार, राज० जयपुर को सूचनार्थ।

महानिरीक्षक कारागार
राज0 जयपुर

Reminder issued on 11.6.94 (P/357)
I — — 11.8.94 (P/378)
II — — 5.9.94 (P/380)
III — — 22.9.94 (P/381)
IV — — 24.11.94 (P/384)
V — — 19.1.95 (P/392)
VI — — 25.2.95 (P/395)
VII — 9.8.94 (P/374)
VIII —

×हमीद×

रा. के. मु. अ. -230-3,00,000-94

प्रपत्र भार. जी. संख्या 4

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक:प08(3)गृह-12/कारा./95 जयपुर, दिनांक 24.3.95

25 MAR 1995

निदेशक एवं महानिरीक्षक,
कारागार विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय: कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के कल्याणकारी क्रियाकलापों का अनुमोदन करने के संबंध में।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्रमांक जी.एन.एल./2039/पार्ट-III/8656-57 दिनांक 9.3.94

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि अलावा बिन्दु संख्या 7 व्यवसायिक प्रशिक्षण के, बंदियों के कल्याण हेतु प्रेषित अन्य निर्धारित कल्याणकारी क्रियाकलापों को एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

25 MAR 1995

भवदीय,

24/3/95

शासन उप सचिव

O., S.O. H.L.A.
D.S.P. (Store)
Sr. Teache, O.S.
(Estt.)
I. G. P.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
HOME (GR.12) DEPARTMENT

No. 4(2)Home-12/Kara/94 Pt. Date:- 3 JUL 1996

To,

Director cum Inspector General
of Prisons Rajasthan,
Jaipur.

Sub:- Regarding authorising Superintendent and Deputy Superintendent of Jails to draws funds from P.D. account of Prisoners welfare fund.

...

Sir,

I am directed to refer to your letter No. Gen/2039/Pt.3/21470 dated 12.6.96 on the subject noted above and to convey approval of the Government for authorising superintendent and Deputy Superintendent of Jails be to draw funds of Rs.500/- at a time subject to maximum of Rs. 5000/- in a year.

It is also stipulated that next drawl be allowed when account of first drawl has been rendered and approved. The expenditure shall be made as per rules and guidelines laid down under Rajasthan prisoners welfare fund.

This issues with the concurrence of Finance Department (Expenditure-3) vide their I.D. No. 1597 dated 24/25.6.96.

Yours faithfully,

Deputy Secretary-to-Govt.

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक:प.7(ग)(13)गृह–2 / 2003 जयपुर, दिनांक 6.10.2008

## अधिसूचना

राजस्थान बन्दी कल्याण कोष नियम 1964 को और संशोधित करने के लिए राजस्थान के राज्यपाल, एतदद्वारा निम्नांकित नियम बनाते है, अर्थात–

1. इन नियमों का नाम राजस्थान बन्दी कल्याण कोष (संशोधन) नियम, 2008 है।
2. (i) नियम 4 (जी) के बाद 4 (एच) निम्न प्रकार स्थापित किया जाता है :– '' कारागार विभाग द्वारा संचालित उधोगशालाओं द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री से प्राप्त राशि ''
   (ii) नियम 5 (ई) के बाद 5 (एफ) निम्न प्रकार स्थापित किया जाता है :– '' कारागार विभाग द्वारा संचालित उधोगशालाओं के संचालन हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी का भुगतान करने हेतु ''

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
ह.
(जे.के. शर्मा)
विशेषाधिकारी, गृह (कारागार)

प्रतिलिपि निम्नाकित को प्रेषित है:–

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राज. जपपुर।
2. महानिदेशक कारागार, राज. जयपुर।
3. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग, राज. जयपुर को आई.डी. संख्या 1371 दिनांक 26.09.08 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज. जयपुर को भय अतिरिक्त प्रति के प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करावे तथा प्रकाशन के उपरान्त दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
5. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, गृह (कारागार)

Home group-2/Notification/doc.(50)

320

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(गा)(13)गृह–2/2003

जयपुर, दिनांक 8/9/11

## अधिसूचना

राजस्थान बन्दी कल्याण कोष नियम 1964 के नियम 5 के अन्तर्गत विभिन्न व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण एतदद्वारा निम्नांनुसार किया जाता है :–

| क्र.सं. | नियम का विवरण | वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अति. महानिदेशक कारागार/ महानिरीक्षक कारागार | उप महानिरीक्षक कारागार | अधीक्षक, केन्द्रीय एवं जिला कारागृह |
| 1. | 5(एफ) कारागार विभाग द्वारा संचालित उधोगशालाओं के संचालन हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी का भुगतान करने हेतु | पूर्ण शक्तियां | 5 लाख रू प्रतिवर्ष एक बार में अधिकतम 50,000/– | सामग्री क्रय हेतु 1 लाख रू (अधिकतम एक अवसर पर रू 30,000/–) एवं मजदूरी भुगतान के लिए पूर्ण शक्तियां |
| 2. | 5(जी) उधोगशालाओं में स्थापित मशीनों से संबंधित मरम्मत पर होने वाला व्यय | पूर्ण शक्तियां | पूर्ण शक्तियां | अधिकतम रू 10,000/– प्रतिवर्ष |
| 3. | 5(एच)– उधोगशालाओं में तैयार उत्पादों एवं कच्चे माल के आदान प्रदान पर होने वाला परिवहन व्यय | पूर्ण शक्तियां | पूर्ण शक्तियां | पूर्ण शक्तियां |
| 4. | 5(आई)–उधोगशालाओं में तैयार उत्पादों के विपणन/ विक्रय हेतु प्रदर्शनियां लगाये जाने पर अथवा अन्य विपणन व्यय | पूर्ण शक्तियां | रू 20,000/– प्रतिवर्ष | – |
| 5. | 5(जे)– उधोगशालाओं के लिए आवश्यकतानुसार उपकरणो का क्रय | पूर्ण शक्तियां | – | – |
| 6. | उधोगशालाओं का विधुत व्ययों का भुगतान | पूर्ण शक्तियां | पूर्ण शक्तियां | पूर्ण शक्तियां |
| 7. | अन्य प्रयोजन जो कि नियमान्तर्गत अनुमत हो | पूर्ण शक्तियां | रू 50,000/– प्रतिवर्ष | रू 10,000/– प्रतिवर्ष एक अवसर में रू 2,000/– से अधिक नहीं |

SEP 2011

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(जे.के. शर्मा)
विशेषाधिकारी, गृह (कारागार)

प्रतिलिपि निम्नाकित को प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राज. जयपुर।
2. महानिदेशक कारागार, राज. जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय–4) विभाग, राज. जयपुर को आई.डी. संख्या 101102911 दिनांक 25.08.2011 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
4. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति के साथ प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे तथा इसकी एक मुद्रित प्रति इस विभाग को भिजवायें।
5. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, गृह (कारागार)